कार्यालय भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक

नई दिल्ली

फरवरी 03, 2020

प्रेस सार

सेना पर सीएजी का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन संसद में प्रस्तुत

संघ सरकार (रक्षा सेवाएँ), सेना पर सीएजी का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु 2019 का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सं. 16, संसद में प्रस्तुत कर दी गई है। इस प्रतिवेदन में 2017-18 में रक्षा विभाग, थल सेना, सैन्य अभियंता सेवाएँ एवं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन से संबंधित रक्षा मंत्रालय के वित्तीय लेन-देन के लेखा परीक्षा के परिणाम समाविष्ट हैं।

मुख्य निष्कर्ष निम्नलिखित हैं:-

उच्च उँचाई क्षेत्र वाले कपड़े, उपकरण, आवास एवं राशन का प्रावधानीकरण, अधिप्राप्ति और वितरण करना

उच्च उँचाई क्षेत्र जैसे सियाचिन, लद्दाख आदि के सैन्य दलों को उच्च उँचाई वाले कपड़े, उपकरण, विशेष राशन एवं आवास सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता होती है जिससे ये प्रभावी रूप से कठोर मौसम एवं अधिक ठंडे मौसम की स्थिति के कारण होने वाली बीमारियों का सामना करने में समर्थ हो पाए। 2015-16 से 2017-18 की अवधि के दौरान इन मदों के प्रावधान तथा अधिप्राप्ति के निष्पादन लेखा परीक्षा निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं:-

कपड़े एवं उपकरण

उच्च उँचाई क्षेत्र के कपड़ों और उपकरण मदों की अधिप्राप्ति में चार वर्षों तक का विलंब था जिससे अनिवार्य कपड़ों तथा उपकरण मदों की कमी हुई। 62 प्रतिशत से 98 प्रतिशत की सीमा तक स्नो-गौगल्स की अत्यधिक कमी हुई। सैन्य दलों को नवंबर 2015 से सितम्बर 2016 तक 'बहु-प्रयोज्य बूट्स' नहीं दिए गए तथा सैन्य दलों को उपलब्ध बूट्स की रिसाईक्लिंग का सहारा लेना पड़ा। इसके अतिरिक्त, फेस मास्क, जैकेट तथा स्लीपिंग बैग्स जैसी मदों के पुराने प्रकार खरीदे गए थे जिससे सैन्य दल नवीनीकृत उत्पादों के प्रयोग से प्राप्त लाभों से वंचित रहे। रक्षा लैब द्वारा अनुसंधान एवं विकास में कमी के कारण आयात पर सतत् निर्भरता बढ़ी।

विशेष राशन

राशन का स्पेशल स्केल सैन्य दलों की दैनिक ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अधिकृत है। तथापि, मूल मदों के बदले में वैकल्पिक मदों को "लागत के आधार पर" भी अधिकृत किया गया। जिससे वैकल्पिक मात्रा की आपूर्ति में कमी हुई। इससे सैन्य दलों द्वारा ली जाने वाली कैलोरी के साथ 82 प्रतिशत तक समझौता करना पड़ा था। लेह स्टेशन पर एक दृष्टांत में यह पाया गया था कि खाने हेतु विशेष राशन मदें वास्तविक रसद के बिना सैन्य दलों को जारी की गई दिखाई गईं थीं।

आवास

अधिक उँचाई वाले क्षेत्र पर सैन्य दलों की आवासीय स्थितियों में सुधार हेतु परियोजना एडहॉक रूप में निष्पादित की गई थी। पायलट परियोजना के प्रथम दो चरणों में वृहत् ग्रीष्म/शीतकालीन अभ्यास किए गए थे। तृतीय चरण ₹63.65 करोड़ की लागत पर पुष्टिकरण अभ्यास तैयार किया। यह परिहार्य था क्योंकि प्रथम दो चरण थकाने वाले थे। इसके अतिरिक्त, मुख्य परियोजना हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा संस्वीकृति प्राप्त नहीं हुई थी। पायलट परियोजना के तहत बनाई गई परिसंपत्तियों को इकाइयों को सौंपने से तय समय सीमा से अधिक देरी हो गई, जो उपयोगकर्ताओं को संसाधनों से वंचित कर रहे हैं, जो पहले से ही चुनौतीपूर्ण जलवायु परिस्थितियों में कम थे। सांख्यकीय परिसंपत्तियों की पंजिका में विनिर्दिष्ट तथा विद्यमान परिसंपत्तियों के बीच विसंगतियाँ थीं।

(अध्याय-2)

भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय (आई एन डी यू) के संस्थापन में सामान्य देरी

1999 में कारगिल समीक्षा समिति, ने भारत की सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली में कमी का पता लगाने के लिए एक विश्वविद्यालय की संस्थापना की सिफारिश की थी। केन्द्रीय कैबिनेट ने सैद्धांतिक रूप में गुड़गाँव, हरियाणा में भारतीय राष्ट्रीय विश्वविद्यालय (आई एन डी यू) की स्थापना हेतु ₹395 करोड़ की अनुमानित लागत को सहमति प्रदान की (मई 2010)।

सितंबर 2012 में जमीन अधिग्रहित की गई थी, तथापि, कारगिल युद्ध के दो दशकों के बाद भी आई एन डी यू के संस्थापन का कार्य फलित नहीं हुआ। परियोजना की लागत ₹395 करोड़ (मई 2010) से ₹4007.22 करोड़ (दिसम्बर 2017) तक, अर्थात् 914 प्रतिशत की वृद्धि, पुनः संशोधित की गई थी। आई डी यू के विधान का प्रारूप दिसंबर 2017 से आई एन डी यू बिल कैबिनेट सचिवालय में संस्वीकृति (अगस्त 2019 तक) हेतु लंबित था।

(पैराग्राफ 3.1)

रक्षा भूमि से संबंधित पट्टे के नवीकरण में देरी के कारण ₹27.42 करोड़ की वित्तीय हानि

रक्षा मंत्रालय द्वारा जून 2018 तक खेल एवं मनोरंजन क्लबों को पट्टे पर दी गई रक्षा भूमि के पट्टे के नवीनीकरण हेतु कोई नीति निर्धारित नहीं की थी।अ) रेसिडेंसी क्लब,

पुणे (13 वर्ष) ब) यूनियन जिमखाना क्लब, बेलगाम (06 वर्ष) स) बेलगाम क्लब (06 वर्ष) द) अहमदाबाद जिमखाना क्लब (26 वर्ष) ई) ईडन गार्डन, कोलकाता में क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल (07 वर्ष) के संबंध में पट्टे के नवीनीकरण में विलंब हुआ था।

क्लबों द्वारा रक्षा भूमि पर अवैध कब्जा जारी रखा गया, जो व्यवसायिक प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं। रक्षा मंत्रालय द्वारा नवीनीकरण नीति के निर्णय में देरी के कारण सरकारी कोष को पट्टे किराए के बकाया पर ₹27.42 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।

(पैराग्राफ 3.2)

₹39.04 करोड़ मूल्य के प्रतिबंधित गोलाबारूद की स्वीकृति

मास्टर जनरल आयुध (एम जी ओ), सेना मुख्यालय (ए एच क्यू) ने वायुयान-रोधी गोलाबारूद के उत्पादन पर रोक लगाने का निर्णय लिया (दिसंबर 2014) क्योंकि जून 2012 के गोलाबारूद खेप के साथ दुर्घटना हो गई थी। गोलाबारुद का उत्पादन, दोष जाँच तथा निर्माण प्रक्रिया की लेखापरीक्षा पूर्ण होने तक रोका गया था। सितंबर 2015 में एम जी ओ ने इस गोलाबारूद के उत्पादन को प्रारंभ करने काआदेश दिया था।

तथापि, अगस्त 2015 में, एम जी ओ के उत्पादन हेतु आदेश से पहले, आयुध निर्माणी, खमारिया (ओ एफ के) ने थल सेना को ₹39.04 करोड़ की कीमत के 52,549 संख्या के गोलाबारूद की आपूर्ति कर दी। गोलाबारूद, केंद्रीय गोलाबारूद डिपो (सी ए डी), पुलगाँव द्वारा स्वीकृत किए गए तथा प्रयोक्ताओं को दिये गए थे। अगस्त 2018 सेना ने में ओ एफ बी को इस गोलाबारूद का मुफ्त प्रतिस्थापन करने के लिए कहा, चूँकि समस्त मात्रा प्रतिबंधित अवधि के दौरान जारी की गई थी। केंद्रीय गोलाबारूद डिपो पुलगाँव में स्टोर के अगस्त 2015 में प्राप्त करने की तिथि के 3 वर्षों के बाद भी, ओ एफ बी द्वारा शेष गोलाबारूद की प्रतिस्थापना नहीं की गई।

(पैराग्राफ 4.2)

विवाहितों के आवास के अतिरिक्त अन्य आवास (ओ टी एम) और पैरीमीटर सड़क का स्तरहीन निर्माण

सैन्य अभियंता सेवाओं (एम ई एस) के प्राधिकारियों की प्रभावी पर्यवेक्षण एवं तकनीकी निरीक्षण की कमी के कारण स्तरहीन निर्माण हुआ जिसके परिणामस्वरूप/ (क) आर्मी वर्कशॉप, सूरतगढ़ के लिए ओ टी एम आवास पर ₹6.86 करोड़ (ख) बिकानेर में मिलिटरी हॉस्पीटल हेतु ओ टी एम आवास पर ₹7.77 करोड़ तथा (ग) मिलिटरी स्टेशन, बनार में पैरीमीटर रोड़ के निर्माण पर ₹2.37 करोड़ जिसमें सुधार लागत के संबंध में ₹1.30, निमार्ण पर अलाभकारी व्यय हुआ। इस प्रकार निर्मित परिसंपत्तियों का अभीष्ट उद्देश्य हेतु प्रयोग नहीं किया जा सका।

(पैराग्राफ 5.3)

रक्षा धातुकर्म अनुसंधान प्रयोगशाला (डी एम आर एल), हैदराबाद में संघटित सामग्री एवं महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी के विकास हेतु प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण

रक्षा धातुकर्म अनुसंधान व प्रयोगशाला (डी एम आर एल), हैदराबाद डी आर डी ओ का धातुओं, मिश्रित धातुओं, मृत्तिका एवं कंपोजिट में अनुसंधान एवं विकास के लिए प्रमुख केंद्र है। डी एम आर एल ने 2004-05 से 2015-16 के दौरान अनुसंधान एवं विकास हेतु 22 परियोजनाओं को पूरा किया। उनमें से, डी. एम. आर. एल. ने पूर्ण रूप से उत्पादन हेतु औद्योगिक साझेदारों के साथ केवल दो प्रौद्योगिकी हस्तांतरण (टी ओ टी) अनुबंध किए। तथापि, इन दोनों टी ओ टी में से किसी का भी पूर्ण पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन नहीं हो सका।

(पैराग्राफ 6.2)

BSC/SS/TT